(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0 मधु खरे

सदस्य

प्रकरण कमांक 1102–तीन/2011 – विरूद्व आदेश दिनांक 04–7–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 734/अपील/2009–10.

हरीसिंह पुत्र रामजीलाल वर्मा
निवासी ग्राम आकुसी तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी ——आवेदक

विरूद्व

1. अरविंद कुमार वेंडर पुत्र ज्वाला प्रसाद वैश्य
2. वेदप्रकाश
3. चन्द्रशेखर } पुत्रगण श्री कैलाशनाथ ब्राम्हण
4. विवेक पुत्र कालीचरण ब्राम्हण
निवासी काली माता मंदिर के पास करैरा
5. प्रदीप कुमार
6. ब्रिजेश कुमार
7. भगवतशरण } पुत्रगण श्री किशोरीलाल वैश्य
निवासीगण करैरा जिला शिवपुरी
8. पटवारी ग्राम कलौथरा अब्बल तहसील करैरा
जिला शिवपुरी ——— अनावेदकगण

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक – आवेदक
श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक अनावेदक क्रं. 1, 5, 6, एवं 7
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक अनावेदक क्रं. 2 एवं 3

// आ दे श //

(आज दिनांक 4/4/2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत् अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 04–7–2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नंबर 9 ग्राम कलौथरा तहसील करैरा ने ग्राम कलौथरा अब्बल तहसील करैरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1025 के बटांकन प्रस्ताव सर्वे नम्बर 1025/1, 1025/2, 1025/3, 1025/4, तैयार कर तहसीलदार करैरा को प्रस्तुत किये। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 50/2003–04/अ–3 में पारित आदेश दिनांक 23–7–2004 से बटांकन स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25–6–08 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार करैरा ने पुनः सुनवाई कर आदेश दिनांक 17–1–09 से वादग्रस्त भूमि के सर्वे क्रमांक 1025/1, 1025/2, 1025/3, 1025/4, 1025/5, 1025/6, 1025/7 बटांकित किये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दो अपील क्रमशः 57 एवं 47/2009–10 प्रस्तुत हुई जिनमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–7–10 से दोनों अपील निरस्त की। उक्त अपीलों के विरुद्ध दो पृथक–पृथक अपीलें क्रमशः 733 एवं 734/09–10 अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत हुई जिनमें अपर आयुक्त ने दिनांक 4–7–2011 को एकसाथ आदेश पारित कर दोनों अपीलें अस्वीकार की। अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 734/09–10/अपील में पारित आदेश दिनांक 4–7–2011 के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक ने ग्राम कलौथरा अब्बल तहसील करैरा स्थित आराजी सर्वे क्रमांक 1025 विक्रेता गयाप्रसाद बाबूलाल पुत्रगण जगन्नाथ से पूर्व से पश्चिम 2.30 कड़ी तथा उत्तर से दक्षिण 1.20 कड़ी झांसी शिवपुरी रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। इसके अलावा अन्य दो रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से आवेदक हरीसिंह ने सर्वे क्रमांक 1025 में से अंश भाग क्रय किये थे जिसके बटांकन आवेदक का सर्वे क्रमांक 1025/3 से कुंआ से लगा हुआ रकवा 0.42 हैक्टे., 120 कडी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़कर 2.50 कडी का बटांकन आदेश दिनांक 23–7–04 से हो गया था जिसका अमल पटवारी कागजात में भी हो गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 ने अनुविभागीय अधिकारी को अपील की जिसमें विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। प्रकरण में पुनः सुनवाई होने पर आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये आवेदक की आपत्ति पर गंभीरतापूर्वक विचार किये बिना आदेश 17–11–09 पारित किया गया। यह भी तर्क दिया कि

आवेदक मौके पर विकय पत्रों में वर्णित चर्तुसीमा के अनुसार सर्वे क्रमांक 1025/3 के रकवा 0.42 हैक्टे. पर काबिज है जो कुंआ से 1.20 कड़ी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर 2.50 कड़ी के रकवा पर काबिज है परन्तु राजस्व निरीक्षक ने फर्द बटांकन कब्जे के अनुसार नहीं बनाई जाकर अनावेदक के दबाव में आकर सड़क के किनारे की जमीन उसको बटांकन में दे दी। प्रकरण क्रमांक 05/04–05/अ–82 आदेश दिनांक 18–4–06 से उक्त आराजी में से 0.05 हैक्टे. का रकवा राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल हो गया है तथा पटवारी अभिलेख में अमल हो चुका है। उक्त रकवे का विवरण फर्द बटांकन करते समय राजस्व निरीक्षक ने पंचनामा एवं फर्द बटांकन में कोई उल्लेख नहीं किया जिससे बटांकन में रकवा कम हो जाने से आवदेक के हित प्रभावित हुआ है। तर्क में यह भी बताया कि आवेदक चर्तुसीमा के अनुसार भूमि बटांकन की आपत्ति की थी परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त आपत्ति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है तथा दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदकों के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदकों के रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों में दर्शायी चर्तुसीमा के अनुसार एवं मौके पर काबिज होने के अनुसार ही बटांकन कायम हुये हैं। यह भी तर्क दिया कि आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत ही विचारण न्यायालय ने बटांकन आदेश पारित किया है। आवेदक की कुछ आपत्ति को स्वीकार एवं कुछ आपत्ति अस्वीकार की गई है। अतः यह तर्क सही नहीं है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तर्क में यह भी कहा कि विचारण न्यायालय के आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का आधार निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में दिनांक 23–7–2004 को हल्का पटवारी द्वारा तैयार बटांकन प्रस्ताव को तहसीलदार ने बिना अनावेदकों को सुनवाई का अवसर दिये स्वीकार किया गया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त कर हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष प्रस्तुत करने का मौका देकर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया था। तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा

सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देकर पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत प्रकरण में आयी आपत्ति का निराकरण के पश्चात् दिनांक 17–11–09 को बटांकन आदेश दिया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न आवेदक के विक्रय पत्र सर्वे क्रमांक 1025 के मिन की छायाप्रति है जिसमें विकीत भूमि की चर्तुसीमा अंकित है जिसमें शिवपुरी झांसी रोड से लगी हुई तथा कुंआ से लगा हुआ बताया है। विवेक सिंह के विक्रय पत्र में चर्तुसीमा में पूर्व में हरीसिंह धाकड़ की भूमि तथा पश्चिम में विक्रेता की उत्तर में विक्रेता की भूमि तथा दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग बताया है। इस प्रकार चर्तुसीमा स्पष्ट है। प्रार्थी अभिभाषक का तर्क है कि रजिस्ट्री में वर्णित चर्तुसीमा अनुसार बटांकन नहीं किया गया। तहसीलदार ने प्रकरण में संलग्न एक बटांकन में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है तथा उसे सर्वे नं. 1025/3 (रकवा 0.42) बटांकन किया है जबकि तहसीलदार के आदेश में हरीसिंह आवेदक को 1025/2 (रकवा 0.42) बटांकन किया है। 1025/3 राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी है। जिस पर कुंआ भी है, परन्तु तहसीलदार ने अपने आदेश में आवेदक को खुर्द बटांकन से भिन्न 1025/2 (रकवा 0.42) बटांकन स्वीकृत किया है जो त्रुटिपूर्ण है। दोनों अपीलीय न्यायालयों ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया तथा तहसीलदार के आदेश को उचित मानते हुए अपील निरस्त की जो त्रुटिपूर्ण है। अन्य आवेदकों का बटांकन उसके विक्रय पत्र में दर्शायी चर्तुसीमा अनुसार किया गया है अथवा नहीं इस तथ्य पर इस प्रकरण में आदेश नहीं किया जा रहा है। अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश अपास्त करते हुये इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार सर्वे क्रमांक 1025 को बटांकन हेतु एक टीम गठित कर आवेदक तथा अन्य केताओं के विकी पत्र में उल्लिखित चतुसीमा अनुसार समस्त हितबद्ध पक्षों की उपस्थिति में स्थल जॉचकर फर्द बटांकन/नक्शा पर बटांकन तैयार कर विधिवत् आदेश पारित करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर